कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2240/11–सी–FP/UP/TRANS/39285/2019, लखनऊ, दिनांकः मार्च 04,2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– 765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर–आगरा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.47128 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 0.12352 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवां बधक 49 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.1280 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 39.8541 हे0 आरक्षित एवं 0.1472 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों/पौधों के पातन, फिरोजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 32.8560 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा आगरा वन प्रभाग में प्रभावित 5.9191 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति अर्थात कुल 79.4992 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल बाधक 121 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0– **FP/UP/TRANS/39285/2019**

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी0/यू0पी0/04/105/2019/एफ0सी0/462, दिनांक 01.01.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक–3057/14–1 दिनांक 04.03.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2240/11–सी FP/UP/TRANS/39285/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद एवं आगरा।
3. वरिष्ठ प्रबंधक, घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0 644/844 ए0 लखनपुर कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, विकासनगर, कानपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।